न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

(5)

राजस्व अपील सं0 07/2012

श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी स्व0 ब्रहमानन्द जी जाति ब्राहम्ण आयु 85 साल निवासी रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे वाली गली, बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. आनन्द सागर पुत्र स्व0 ब्रहमानन्द जी जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे वाली गली, बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. सुख सागर पुत्र स्व0 ब्रहमानन्द जी जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी चौसला, बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
3. श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व0 ब्रहमानन्द जी पत्नी श्री सुगनचन्द जी शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी श्री राम कुटीर, 55/115 रजतपथ, मानसरोवर जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार मसूदा।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत शिखरानी।
6. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिजयनगर।

—— प्रत्यर्थीगण

अपील ज्ञापन अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1100 दिनांक 20.05.2010 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत शिखरानी ने नामान्तकरण अपीलार्थी के ही नाम बजरिये पंजीकृत वसीयत खोला जाना चाहिये था, किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 व अपीलार्थी के नाम बहिस्से बराबर खोल दिया।

:– निर्णय :– दिनांक 26.08.2016

अपिलार्थीया ने इस अपील मीमों में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा नगर भू. अ. नि. क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर स्थित अराजी खसरा न0 492 रकबा 05–06–10 व 493 रकबा 00–02–10 व 494 रकबा 00–03–00 कुल रकबा 05–12–00 बीघा किस्म चाही एवं खसरा न0 526 रकबा 07–04–00 बीघा बारानी सहित सम्पूर्ण अराजी अपिलार्थीया के पति एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के पिता स्व0 ब्रहमानन्द जी की स्वअर्जित सम्पत्तियां हैं जिनमें उन्होंने कुआ खुदवाया व अपने नाम विद्युत कनेक्शन लिया। स्व0 ब्रहमानन्द जी ने उनके जीते जी दिनांक 18.01.1985 को अपिलार्थीया के हक में एक वसियतनामा तकसीम कर रूबरू गवाहान उपपंजीयक बिजयनगर के यहां पुस्तक संख्या 3 में क्रम संख्या 1 पर दिनांक 18.01.1985 को ही पंजीयन करवा दिया था। श्री ब्रहमानन्द जी की मृत्यु दिनांक 11.02.2003 को हो गई और उसके इन्तकाज का नामान्तकरण सं. 1100 दिनांक 20.05.2010 अपिलार्थीया सहित प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के पक्ष में प्रत्यर्थी सं0 5 से प्रत्यर्थी सं0 2 ने लालचवश करवा लिया है। जो वसियत ग्रहिता अपिलार्थीया के अधिकारों के विरूद्ध है। यह नामान्तकरण सं0 1100 दिनांक 20.05.2010 जिसमें अपिलार्थीया का 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि वसियतानुसार सम्पूर्ण अराजी में अकेली अपिलार्थीया के नाम ही नामान्तकरण होना चाहिये था। इसी से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

नामान्तकरण सं0 1100 दिनांक 20.05.2010 की जानकारी अपिलार्थीया को दिनांक 26.10.2012 को इसकी प्रमाणित प्रति लेने पर हुई। अतः जानकारी तिथि से अपील अन्दर मयाद है फिर भी सावधानीवश मय शपथ पत्र धारा 5 कानून मयाद अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपेक्षित नामान्तकरण को निरस्त फर्माते हुए प्रार्थीया के तन्हा नाम वसियत के आधार पर प्रश्नगत भूमि का नामान्तकरण करने के प्रत्यर्थी सं0 5 पर आदेश दिलवाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में प्रार्थीया ने निवेदन किया है कि अपिलाधीन नामान्तकरण सं0 1100 दिनांक 20.05.2010 की जानकारी उसे कार्यालय उप तहसील, बिजयनगर से दिनांक 26.10.2012 को नकल प्राप्त करने पर हुई है। यह प्रार्थीया को बिना सुने एक पक्षीय व वसियत को छुपाते हुए गुपचुप तरीके से बदनीयतिवश प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा मिलीभगत करके प्रार्थीया की सम्पति को

हडपने की मंशा से अपिलार्थीया सहित प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के नाम स्वीकृत करवाया गया है जिसकी जानकारी दिवस से अपील अन्दर मयाद है। अपील में देरी स्वभाविक एवं अपिलार्थीया के नियन्त्रण से बाहर होने से क्षमा योग्य है। अतः विलम्ब क्षमा कराते हुए अपील पर सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णित कराने की कृपा करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 में प्रत्यर्थी सं0 2 ने प्रार्थना पत्र को झूठा बताते हुए निवेदन किया है कि अपिलार्थीया को नामान्तकरण संबंधी जानकारी प्रारम्भ से ही रही है जिसके तहत दिनांक 01.02.2011 को प्रत्यर्थी सं0 1 आनन्द सागर के पक्ष में अपने 1/4 हिस्से का परित्याग कर दस्तावेज का पंजीयन करवाया है। जिसे उसके द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। अपिलार्थीया के पति स्व0 ब्रहमानन्द जी ने अपने जीवनकाल में ही इस वसियत को निरस्त कर दिया था क्योंकि वसियत किये गये खसरा नम्बरान की अराजी में से 1–2 नम्बर पुश्तैनी थे। वसीयत को शून्य घोषित कराने हेतु एक दिवानी वाद सं. 23/2012 उनवानी सुशील कुमार बनाम सुमित कुमार व अन्य से न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.खं.) बिजयनगर में लंबित है। हक त्याग के समय अपिलार्थीया को इस नामान्तकरण की जानकारी थी। अपिलार्थीया ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए यह अपील एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपिलार्थीया क्लीन हैण्ड न्यायालय के समक्ष नहीं आई है अतः प्रार्थना पत्र मयाद एवं अपील खारिज कराने की कृपा करावें।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई। अपिलार्थीया के विद्वान वकील के तर्क रहे हैं कि अपिलार्थीया अत्यन्त ही वृद्ध एवं बेसहारा बेवा है जिसे कानून कायदों की जानकारी नहीं रही है उसकी सदभावना का लाभ उठाते हुए तथाकथित हक त्याग अनैतिक दबाव देकर करवाया गया है। सेन्सलेस व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही कानूनन ग्राह्य योग्य नहीं है। अपीलाधीन भूमियों बाबत् प्रत्यर्थी सं. 2 स्वयं ससपेन्स में है कि प्रश्नगत भूमियों में से कौन से खसरा नम्बरान की भूमि पुश्तैनी है। वसियत निरस्तीकरण बाबत् स्व0 ब्रहमानन्द का कोई दस्तावेज अपने कथनानुसार पेश नहीं किया है और अब शून्य घोषित कराने के वाद का हवाला दिया है। प्रत्यर्थी सं. 2 अपने दोहरे आवरण से ही क्लीन हैण्ड आना नहीं पाया जाता है। वसीयत आज भी मौजूद है अतः मृतक ब्रहमानन्द की यह अंतिम इच्छा होने से अपील अपिलार्थीया स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थना पत्र एवं अपील स्वीकार करवाने की कृपा करावें।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी सं0 2 ने विर्तक में कथन किये हैं कि अपिलार्थीया की पूर्ण जानकारी में रहते हुए नामान्तकरण स्वीकार किया गया है तथा उसने अपने हक का त्याग किया है। हक त्याग पत्र के मौजूद रहते बिना उसे समक्ष न्यायालय से निरस्त कराये अपील एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

मैंने बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया। मृतक ब्रहमानन्द वल्द चम्पालाल अपीलाधीन नामान्तकरण की सम्पत्तियों में अकेला खातेदार होना पाया जाता है। जहां तक हक त्याग का प्रश्न है वह अपने पुत्र के पक्ष में सदभाविक विश्वास के तहत माता के रूप में किया जाना पाया जाता है। अपिलार्थीया के हस्ताक्षरों से ही स्पष्ट है कि अनपढ़ होकर मात्र हस्ताक्षर करना भर जानती लगती है जिसका बेजा फायदा उठाना पाया जाता है। वर्तमान स्थिति में अपील पर ही विचार किया जाना है। मेरे विचार में प्रत्यर्थी सं. 2 पर तो अपिलार्थीया आक्षेप करती ही है, प्रत्यर्थी सं. 1 को लेकर प्रत्यर्थी सं. 2 ने जो प्रश्न उत्पन्न किया है प्रत्यार्थिया की अशैक्षणिक स्थिति एवं असहाय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ग्राह्य योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थिया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है तथा अपील पर विचार कर निम्न प्रकार निर्णय पारित किया जाता है।

नामान्तकरण सं0 1100 दिनांक 20.05.2010 के प्रस्ताव सं. 5 से स्वीकृत किया गया है जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वीकार किया गया है। अपिलार्थीया के आपेक्षानुसार प्रत्यर्थी सं. 2 की मिलीभगत से बिना उसे जानकारी दिये वसियत के तथ्य को छुपाते हुए अपिलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 के नाम स्वीकृत किया जाना बताया है जो संभव भी है क्योंकि अपिलार्थीया अशिक्षित है और हस्ताक्षर करना भर जानना प्रतीत होती है इसी का लाभ उठाकर संभवतः यह नामान्तकरण स्वीकृत कराया गया हो। प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 वसियतकर्ता मृतक ब्रहमानन्द के जायन्दा पुत्र हैं जिन पर अपने जीवनकाल में उसे भरोसा ना रहा हो इसलिए अपनी जीवन साथिनी के हितों को दृष्टिगत रखते हुए यह अंतिम इच्छा

जाहिर किया जाना प्रकट आता है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा ही प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है। हक त्याग प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में हुआ है और वह भी इस अपील में पक्षकार है लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया है यही कारण संदेह उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में अपील अपिलार्थीया स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपिलार्थीया स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं. 1100 पर प्रस्ताव सं. 5 दिनांक 20.05.2010 से पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बिजयनगर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में पुनः जांच कर नामान्तकरण स्वीकृत कराना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2016 को कार्यालय हाजा में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 16:51:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: